नरेगा श्रमिकों के कोरोना से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी ः पायलट

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-16-03-2020--2.docx (http://103.203.138.54/news/195227/document/LK-16-03-2020--2.docx)

DESCRIPTION

नरेगा श्रमिकों के कोरोना से बचाव हेतु
एडवाइजरी जारी ः पायलट

जयपुर, 16 मार्च। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचने एवं वायरस संक्रमण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नरेगा श्रमिकों हेतु ''क्या करें, क्या नहीं करें'' की जानकारी संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लगभग 13 लाख श्रमिक नियोजित है। नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिक समूह में कार्य करते है तथा कई कार्यस्थलों पर 100 से अधिक श्रमिकों की संख्या रहती है। श्री पायलट ने कहा कि आवश्यक सावधानियां बरतकर एवं उपायों को अपनाकर कोरोना के संक्रमण से स्वयं एवं दूसरों को बचाया जा सकता है।

श्री पायलट ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु सभी जिला कलक्टर्स को एडवाइजरी के माध्यम से निर्देश जारी कर श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने, आवश्यक सावधानियां बरतनें, हाथों की सफाई, खांसते एवं छींकते समय मुंह ढ़ककर रखने के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु कहा गया है। साथ ही श्रमिकों को उपस्थिति हेतु एक स्थान पर इकट्ठा न करने, मेडिकल किट में साबुन रखने, बार-बार पानी पिलाने संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा नरेगा योजना में काम मांगने हेतु भरे जाने वाले फार्म-6 की पावती के पीछे के पृष्ठ पर कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में ''क्या करें, क्या नहीं करें'' संबंधी जानकारी छपवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि नरेगा कार्यस्थल पर सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बनाएं रखने, बार-बार साबुन से हाथ धोने, नाक, आंख एव मुंह को बार-बार न छूने, खांसी, नाक बहने व बुखार की शिकायत होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने संबंधी विषयों पर जानकारी देने, विशेषकर नरेगा कार्यस्थल पर बुजुर्ग श्रमिकों की विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।